(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2256–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 216/10–11/अपील.

1– भगवान लाल पुत्र देवलाल
2– प्रमोद पुत्र स्व. तारा
3– सचिन पुत्र स्व. तारा नाबालिग
4– जीतेन्द्र पुत्र स्व. तारा नाबालिग
सरपरस्त मॉ श्रीमती फूलवती
5– श्रीमती फूलवती पति स्व. तारा
निवासीगण ग्राम अर्रू
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नरेन्द्र सिंह
2– हरीसिंह उर्फ बलजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह
निवासीगण ग्राम सिमरिया ताल
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री अजीत कुमार जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक एवं
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 एवं आवेदक कमांक 2 लगायत 4 के पिता तथा आवेदिका कमांक 5 के पति स्व तारा द्वारा उनके शामिलाती खाते की ग्राम अर्रू स्थित भूमि सर्वे नम्बर 363 रकबा 1.63 हेक्टेयर के सम्बन्ध में बन्दोबस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार

द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर नक्शा व खसरे में दुरूस्त किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी डबरा को प्रेषित गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शा दुरूस्ती की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर, ग्वालियर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–12–2010 को आदेश पारित कर नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–9–2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, अतः उन्हें सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा बन्दोबस्त के दौरान हुई नक्शे में त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत जॉच कराई जाकर नक्शा दुरस्ती का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी नक्शा दुरूस्ती की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया है, जो कि उचित कार्यवाही है । यह भी का गया कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए नक्शा दुरूस्ती के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, नवीन नक्शे में नहीं और बन्दोबस्त के दौरान हुई नक्शे में त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को सर्वप्रथम समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर समय–सीमा के बिन्दु एवं गुण–दोष पर एक साथ आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों एवं अभिलेखों का अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा आदेश में न तो कोई विवेचना की गई है, न ही आदेश में कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गये हैं

और न ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर कोई निष्कर्ष निकाले गये हैं । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जॉच अधिकारियों द्वारा जांच के समय अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और कलेक्टर द्वारा भी अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो अनुचित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार है, किन्तु उन्हें सूचना पत्र की तामीली नही कराई गई है और न सुनवाई का अवसर दिया गया है, इस कारण समय–सीमा का कोई बन्धन नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण कर रकबा बरारी करने पर आवेदकगण की नक्शे में 0.52 हेक्टेयर भूमि सर्वे नम्बर 364 में पाई गई है, और नक्शे में संशोधन करने से अनावेदकगण की भूमि प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण ने उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उन्हें सूचना नहीं दी गई है । तद्नुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को सूचना दी गई है, और सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया है, जिससे सहमत होते हुए कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–12–2010 को नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । इस कारण कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । इस प्रकरण में महत्वूपर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अनावेदकगण द्वारा केवल यह आपत्ति ली जा रही है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और अपर

आयुक्त द्वारा भी इसी आधार पर आदेश पारित किया गया है, परन्तु यह नहीं बतलाया जा सका है कि उनके साथ तथ्यतः क्या अन्याय हुआ है, और नक्शे में संशोधन से उनका रकबा प्रभावित हुआ है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और कलेक्टर द्वारा अत्यन्त संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है । इस सम्बन्ध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सूचना दी गई है, और वे सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे हैं, इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । कलेक्टर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे सहमत होते हुए कलेक्टर ने नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया है, इसलिए विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्य दुबारा आदेश में दोहराने का कोई औचित्य नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2013 निरस्त किया जाता है एवं कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर